न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 188/2014

निर्णय दिनांकः– 02/05/2017

1. भैरू पुत्र केसरा जाति माली निवासी चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. पोखर पुत्र जग्गा जाति माली निवासी चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सीताराम सैनी प्रार्थी

श्री रामावतार सैन वकील अप्रार्थी सं0 1

–:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 02.05.2014

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 510 के ख0न0 17 रकबा 10 बीघा ख0न0 109 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है। अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर सरकारी लगान जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के वंशज है व सदस्य है। प्रार्थी केसरा का पुत्र है व जग्गा का पौत्र है तथा उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर अपने हिस्से को काफी उन्नत व उपजाउ बना लिया है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में होने से प्रार्थी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है इसलिये उक्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैचान करने पर आमादा है जबकि उक्त आराजी प्रार्थी ने पारिवारिक बाहमी बंटवारे में प्रार्थी को 1/2 हिस्सा सम्भला दिया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 पाबन्द है इसलिये पारिवारिक समझोता एवं हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी कानून हक व हिस्सा पाने एवं उक्त आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 परिवार में कर्ता खानदान होने से अपने नाम लगवा ली प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने से सारे कार्य अप्रर्थी संख्या 1 के द्वारा ही सम्भाले गये थे जिसका नाजायज

लगातार.....2

फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने सारी आराजी अपने नाम लगवा ली जबकि उक्त आराजी सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित की गयी सम्पति है वादी कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्राबधानो के अनुसार एवं सयुक्त हिन्दू परिवार की आय अर्जित सम्पति होने से हक व हिस्सा पाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दे रखी है कि उक्त आराजी मेरे नाम है इसे कभी भी किसी दिगर व्यथितयों को बैचान कर देगे जो बलशाली व पैसे वाला व्यक्ति होगा जो लाठी के बल पर तुझे तेरे कब्जे से भी बेदखल कर देगे इसलिये प्रार्थी कों यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। अप्रार्थी स0 1 उक्त प्रकार से जबरन उक्त आराजी का बैचान करने की धमकी देकर प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल कर अजनबी व्यक्तियो को कब्जा करवाने की नाबालिये कोशिश करने लगा है जो कभी भी मौका देखकर प्रार्थी कों उक्त उन्नत एवं उपजाउ हक व हिस्से व मौके पर लाठी के बल पर बेदखल कर देगे तो प्रार्थी को अपने हक व हिस्से से महरूम होना पडेगा। दिनांक 10.09.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 अपने साथ पॉच सात अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये एवं उक्त आराजीयात को बैचान करने की बातचीत करने लगे जब प्रार्थी ने उक्जत आराजी बाबत बैचान की बात की बात सुनी तो अप्रार्थी संख्या 1 को बैचने से मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में मेरे नाम है जिसको में रातो रात दीगर व्यक्तियों को बैचान कर तुम्हें कब्जे काश्त एवं तुम्हारे हक से बेदखल कर दम लुगा। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने के अपने उपरोक्त मनसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नाकाविले तलाफी नुकसान होगा तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी जिसकी क्षति पुर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये प्रार्थी के हितो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील श्री रामावतार सैन ने मूल वाद मे वकालतनामा पेश किया। तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की प्रार्थना पत्र में वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 17 रकबा 10 बीघा ख0न0 109 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित होने का तथ्य सही है लेकिन वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नही है। अपितु राजस्व रिकोर्ड में सोन्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 व पोखर पुत्र जग्गा हिस्सा 1/2 कौम माली के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से जग्गा के नाम रही ही नही तो पैत्रृक सम्पति व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते है अपितु जग्गा के जीवन काल में प्रार्थी एवं अप्रार्थी

लगातार.....3

संख्या 1 अलग अलग रहकर निवास करने लग गये थे। तथा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने तथा सरकारी लगान अदा करने पर राज्य सरकार द्वारा विधि पूर्वक राजस्थान खातेंदारी अधिकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को दिये गये थे। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने तथा दलालो के सम्पर्क में आकर प्रार्थी ने झुठे कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।जिसमें प्रार्थी घोषणा करवाने का किसी प्रकार से कानूनन अधिकारी नही है। वाद ग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 की स्व0 अर्जित भूमि है। जिसमें सयुक्त परिवार के प्रावधान किसी भी प्रकार से लागु नही होते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के सभी सामाजिक व धार्मिक आयोजन पृथक पृथक परिवार मे रहकर ही सम्पादित किये जाते रहे है।कभी भी प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त नही रहा है। मात्र जमीनो की किमते बढ जाने से नियत मे फितुर उत्पन्न होने से आनन – फानन में उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो किसी प्रकार से चलने योग्य नही है। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की स्व0 अर्जित आराजी में हिस्सा पाने का कतई कानूनन अधिकारी नही है।दिनांक 10.09.2014 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कोई बातचीत नही हुई है। मात्र उक्त दिवस का कायाशी वाका दर्ज कर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 को मान्य न्यायालय द्वारा पाबन्द किये जाने से अप्रार्थी के विधिक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पडेगा। तथा अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन में बताया की वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 17 रकबा 10 बीघा ख0न0 109 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 पोखर पुत्र जग्गा हिस्सा 1/2 व सोन्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागु होने के समय तथा कब्जा काश्त होने के आधार पर दफा 15 के तहत भूमि विधि पूर्वेक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जिसका अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वज जग्गा की कब्जे काश्त की आराजी नही रही है। तथा पैत्रृक सम्पति नही है। अपितु अप्रार्थी संख्या 1 की स्व0 अर्जित खातेदारी की भूमि है प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्व0 जग्गा के समय से ही पृथक परिवार के रूप मे रहकर निवास करने लग गये थें। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.09.2014 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। अपितु राजस्व रिकोर्ड में दर्ज इन्द्राज तथा कब्जा काश्त मात्र वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 की होने की प्रार्थी एवं उसके

लगातार.....4

वारिसान को सदैव से रही है। मात्र दिनांक 10.09.2014 का झूठा वाका दर्ज कर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद कारण के अभाव में सरसरी तौर पर खारिज फरमाने योग्य है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जिसपर वकील प्रतिवादी द्वारा आनात्ति प्रकट किया व वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वकील वादी/प्रार्थी को जबाब उल जबाब पेश करने की अनुमति दी गई तथा वकील वादी/प्रार्थी ने जबाब उल जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता नें अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के वंशज है व सदस्य है। परन्तु राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में होने से अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है इसलिये उक्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैचान करने पर आमादा है जबकि उक्त आराजी प्रार्थी ने पारिवारिक बाहमी बंटवारे में प्रार्थी को 1/2 हिस्सा सम्भला दिया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 पाबन्द है इसलिये पारिवारिक समझोता एवं हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी कानून हक व हिस्सा पाने एवं उक्त आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जबकि उक्त आराजी सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित की गयी सम्पति है

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्व0 अर्जित खातेदारी की भूमि है प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्व0 जग्गा के समय से ही पृथक परिवार के रूप मे रहकर निवास करने लग गये थें। तथा वादग्रस्त आराजी पूर्ववर्ती राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज रही है। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 पोखर पुत्र जग्गा हिस्सा 1/2 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागु होने के समय तथा कब्जा काश्त होने के आधार पर दफा 15 के तहत भूमि विधि पूर्वक राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। तब से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 रिकोर्डड खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से स्व0 जग्गा की भूमि नही रही है। अपितु अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। अपितु राजस्व रिकोर्ड में दर्ज इन्द्राज तथा कब्जा काश्त मात्र वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 की होने की प्रार्थी एवं उसके वारिसान को सदैव से जानकारी रही है। मात्र दिनांक 10.09.2014 का झूठा वाका दर्ज कर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

लगातार.....5

खारिज फरमाने योग्य है।

बहस सुनी गई तथा पत्रालवी व प्रस्तुत जबाब उल जबाब व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2067–2070 वाके ग्राम चान्दमाकला में पोखर पुत्र जग्गा हिस्सा 1/2 व सोन्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 कौम माली दर्ज रिकोर्डड खातेदार काश्तकार है। एव वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 की दफा 15 के तहत स्वअर्जित भूमि है। विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त का बिन्दु साक्ष्य सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जावेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा के विचारण में तीन आधारभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति पर सोचना आवश्यक है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकोर्डे में खातेदार काश्तकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में रिकोर्डड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसके विपरित वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नही है। तथा वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पति नही है। तथा मौके पर विवादित आराजी के किसी भू भाग पर अपना कब्जा होना भी प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही कर पाया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होना अवधारित नही किया जा सकता। तथा राजस्व रिकोर्ड के अभाव में मौखिक बयानो का कोई महत्व नही होता है। हक व स्वत्व की घोषणा तो दावे मे ही की जा सकेगी। परनतु अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रयोजन हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी संख्या 1 भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिनके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक प्रबल प्रतीत होते है। अतः दावें के अंतिम निस्तारण तक विवादीत आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत नही होता तथा प्रार्थी के अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ को सिद्व करने मे पूर्णतयः असफल रहे। इस लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 02.05.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला- जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी